फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सुमेर सिंह बनाम हुकम चन्द व अन्य

केस संख्या 05/2021 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
12.08.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट मय अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 59/2019 व उनवानी हुकम चन्द यादव बनाम सुमेर सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.07.2021 के विरूद्व धारा 16 के तहत यह अपील पेश की गई है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 इस प्रकार है– 16. Appeals :- (1) Any senior citizen or a parent, as the case may be, aggeieved by an order of a tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate tribunal. इस प्रकार अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। यह अपील अभिभावक रेसपोडेन्ट हुकुम चन्द के पुत्रों द्वारा पेश की गई है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। 12/8/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	